

कम्प्यूटर-परिचय सं०-1314055 दिनांक 04/10/2013

पत्र सं०-सचलदल-क्षेत्राधिकार-2013-14/

1577

/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर

सचल दल- अनुभाग

उत्तर प्रदेश

लखनऊ :: दिनांक: 04 सितम्बर, 2013

अविज्ञा

आदेश

उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 5(5) के परन्तुक में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, प्रदेश के सम्भागों में कार्यरत ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक) तथा समस्त खण्ड कार्यालयों में तैनात असिस्टेंट कमिशनर तथा वाणिज्य कर अधिकारी को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश (Whole of the State) के लिए धारा-45 तथा धारा-48 में विहित कार्यवाही के निष्पादन हेतु इन धाराओं में अन्तर्निहित शक्तियों का क्षेत्राधिकार एतद्वारा प्रदान करता हूँ।

mu

04.10.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिशनर वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश

पृ० पत्रांक व दिनांक :: उक्त

प्रतिलिपि :

- 1- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश शासन
- 2-समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
- 3-समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
- 4-समस्त ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक) / (वि०अनु०शा०), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
- 5- समस्त डिप्टी कमिशनर, वाणिज्य कर/असिस्टेंट कमिशनर, वाणिज्य कर/वाणिज्य कर अधिकारी उत्तर प्रदेश

04.10.13
(योगेन्द्र कुमार)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ